

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि सुश्री पूनम कुमारी, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गोपालगंज के विरुद्ध लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अवकाश में रहने एवं इस कारण अधिप्राप्ति, व्यवसाय विकास इत्यादि लगातार बाधित होने तथा अपने स्तर से विभिन्न बैंक शाखाओं का सत्त/समुचित निगरानी एवं पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, विभागीय/बैंकिंग कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3380 दिनांक-22.06.2026 द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित करते हुए बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

सुश्री कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सुश्री कुमारी द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अमरेन्द्र किशोर, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप-पत्र की एक-एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना -सह-संचालन पदाधिकारी/श्री अमरेन्द्र किशोर, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

8/नि.को.(रा.)विभागीय-781/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

8/नि.को.(रा.)विभागीय-781/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के श्री अमरेन्द्र किशोर, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना -सह- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

निबंधित

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-781/2026

अनुलग्नक की प्रति के साथ सुश्री पूनम कुमारी, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गोपालगंज सम्प्रति मुख्यालय सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-781/2026

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा-1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक : 4843 / पटना, दिनांक : 25/08/26

8/नि.को.(रा.)विभागीय-781/2026

लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


25/08/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।